न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 09 / 2020
अनवान :–

1. हरदेवाराम पुत्र ताराचन्द जाति मेधवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भागीरथ पुत्र ताराचन्द जाति मेधवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. मंगतुराम पुत्र गोपाल जाति मेधवाल निवासी रामसरा तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

गेरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, सायल
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक : 21/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 87 / 86 के प0न0 332 / 415(4) के किला 17 / 2 की 0.0840हैक किला न0 18 / 0.2530हैक किला न0 19 / 2 की 0.0840हैक कुल 0.4210हैक भूमि जो हरदेवाराम पुत्र ताराचन्द सायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 46 / 42 के प0न0 332 / 415(4) के किला न0 12 / 2 की 0.0840हैक किला न0 13 की 0.2530हैक 14 / 2 की 0.0840हैक कुल 0.4210हैक जो भागीरथ पुत्र ताराचन्द सायल संख्या 2 खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50 / 47 के प0न0 332 / 415(4) के किला न01 / 2 की 0.2150हैक किला न0 2 / 2 की 0.1440हैक किला न0 9 / 2 की 0.1680हैक किला न0 10 / 0.2530हैक, कुल 0.7800हैक प0न0 0 मु0न0 61 / 4 के किला न0 0 / 1 की 0.0630हैक गै0मु0 रास्ता कुल 0.0630हैक कुल 5 किता 0.8340हैक भूमि जो मंगतुराम पुत्र गोपाल गैरसायल संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी की पूर्व में सयुक्त खाता की कृषि भूमि थी जिसका प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने खाता विभाजन करवा लिया था प्रार्थीगण गांव रामसरा से चलकर चक 22 एनटीआर की ओर जाने वाली सडक से होते हुए अप्रार्थीगण के खेत रोही मौजा चक 24 एनटीआर के प0न0 332 / 415(4) के किला न0 2 / 2 व 9 की पश्चिमी सीमा में उतर से दक्षिण चलकर अपने खेत किला न0 12 / 2 में प्रवेश करते है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता है

प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृत रास्ता नही है उक्त रास्ता प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये सबसे उपयुक्त रास्ता है अतः प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन करने के लिये उक्त रास्ता स्वीकार फरमावे।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 की भूमि रोही मौजा चक 24 एनटीआर के प0न0 332 / 415(4) के किला न0 2 / 2 ,9 में पश्चिमी साईड में उतर से पश्चिम एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायलान / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गेरसायलान को रजिस्ट्रर्ड नोटिस से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की [illegible] सायल की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता [illegible] पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने [illegible] कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है जिससे सायल को अपनी भूमि काश्त करने के लिये भारी परेशानी का सामना करना पडता है सायल व गेरसायल की कृषि भूमि चिपते हुए है सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रास्ता से होते हुए गेरसायल संख्या 1 की भूमि रोही मौजा चक 24 एनटीआर के प0न0 332/415(4) के किला न0 2/2 ,9 में पश्चिमी साईड में उतर से पश्चिम से होकर अपनी खातेदारी भूमि के किला न0 12/2 में प्रवेश करता है यही रास्ता सबसे उपयुक्त रास्ता है यह रास्ता सदामत से चालू रास्ता है जिसे स्वीकार फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 87/86 के प0न0 332/415(4) के किला 17/2 की 0.0840हैक किला न0 18/0.2530हैक किला न0 19/2 की 0.0840हैक कुल 0.4210हैक भूमि जो हरदेवाराम पुत्र ताराचन्द सायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 46/42 के प0न0 332/415(4) के किला न0 12/2 की 0.0840हैक किला न0 13 की 0.2530हैक 14/2 की 0.0840हैक कुल 0.4210हैक जो भागीरथ पुत्र ताराचन्द सायल संख्या 2 खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50/47 के प0न0 332/415(4) के किला न01/2 की 0.2150हैक किला न0 2/2 की 0.1440हैक किला न0 9/2 की 0.1680हैक किला न0 10/0.2530हैक, कुल 0.7800हैक प0न0 0 मु0न0 61/4 के किला न0 0/1 की 0.0630हैक गै0मु0 रास्ता कुल 0.0630हैक कुल 5 किता 0.8340हैक भूमि जो मंगतुराम पुत्र गोपाल गैरसायल संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल का कथन है कि सायलान/प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल गैरसायल के किला न0 2/2 ,9 के पश्चिमी साईड से उत्तर से दक्षिण से होकर अपनी भूमि में आवागमन कर रहा है जिसे स्वीकृत करवाने का अधिकारी है सायल का कथन स्वीकार योग्य है क्योकि प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार सायलान/प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार रोही मौजा चक 24 एनटीआर के मु0न0 4 , 5 की पत्थर लाईन पर स्वीकृत शुद्वा रास्ता है जो वर्तमान में चल रहा है तथा स्वीकृशुद्वा रास्ता के चिपते हुए ही गैरसायल की भूमि है गैरसायल की दो किला दुरी पर सायलान की भूमि है सायलान गैरसायल की दो किलो में रास्ता स्वीकृत करने पर सायल अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर जाता है जो सायल की भूमि में पहुचने के लिये सबसे उपयुक्त रास्ता प्रतीत होता है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना न्यायोचित है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा में सायलान/प्रार्थीगण की भूमि तक पहुचने के लिये दो उपयुक्त रास्तों की विवरण अंकित किया गया है जिसमें एक सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता भी अंकित है सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायल की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतित होता है

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है जिससे गैरसायलान को भी नुकसान नही हो रहा है।

अतः साायलान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 की भूमि रोही मौजा चक 24 एनटीआर के प0न0 332/415(4) के किला न0 2/2 व 9 के पश्चिमी साईड में उतर से दक्षिण में एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायलान गेरसायल को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल [illegible] उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द[illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

..2